संख्या-30/2020/186 /35-1-2020-855 /2019 टी.सी.

प्रेषक,

ऋषिकेश दूबे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मूल्यांकन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 23 अप्रैल,2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- **"3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-05 राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग)"** के सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत **रू0 1022.32 लाख (रूपये दस करोड़ बाइस लाख बत्तीस हजार मात्र)** की धनराशि को संलग्न विवरण-1 तथा लेखाशीर्षक-**''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-07-राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)** की धनराशि का विवरण (2) में उल्लिखित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/ 2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के **अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-05 राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग)" तथा लेखाशीर्षक-''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्यं कार्यालय- 07-राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांवकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेत् व्यवस्था"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किया रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 30/2020/186 (1)/35-1-2020, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-30/2020/186/35-1-2020-855 /2019 टी.सी. दिनांक 23 अप्रैल, 2020 का संलग्नक

विवरण-1 **(लाख रूपये में)**

क्र0 सं0	कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष् 2020-21 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	01	वेतन	681.00
2	03	मंहगाई भत्ता	170.25
3	04	यात्रा व्यय	5.00
4	06	अन्य भत्ते	2.00
5	08	कार्यालय व्यय	4.00
6	09	विद्युत देय	8.00
7	10	जलकर, जल प्रभार	0.40
8	11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00
9	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00
10	13	टेलीफोन पर व्यय	1.50
11	15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.00
12	16	व्यवसायिक तथा विशेंष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00
13	17	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	31.67
14	18	प्रकाशन	2.00
15	44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00
16	45	अवकाश यात्रा व्यय	1.00
17	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00
18	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00
19	49	चिकित्सा व्यय	10.00
20	51	वर्दी व्यय	0.50
21	52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	--
22	55	मकान किराया भत्ता	74.00
23	56	नगर प्रतिकर भत्ता	11.00
		योग-	**1022.32** **(रूपये दस करोड़ बाइस लाख बत्तीस हजार मात्र)**

विवरण-2

क्र0 सं0	कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष् 2020-21 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	**50.00** **(रूपये पचास लाख मात्र)**

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in